



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230817
CG-DL-E-29102021-230817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4165]
No. 4165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4526(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर और तंजावुर जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/09/2021-एस.एस.1]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4526(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2021, as the date on which the provisions of the said Act, namely, —

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Coimbatore and Thanjavur districts in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/09/2021-SS.I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.